(i) राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थानः उद्देश्य और कार्य आदि

राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान

हाल के वर्षों में भूगोलशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों और अर्थशास्त्रियों के साथ-साथ तकनीकी और पेशेवर समूहों जैसे इंजीनियर, शहर-योजनाकारों, आर्किटेक्ट, परिवहन, स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा सर्वेक्षण, अनुसंधान अध्ययन और शहरीकरण और इसके विभिन्न पहलुओं पर अन्य साहित्य प्रस्तुत किए गए हैं। व्यावहारिक रूप से मानवीय जरूरतों और विकास के परिणामी जटिलताओं के विस्तार की ओर संकेत करते हुए जीवन के आधुनिक अभिव्यक्तियों के अध्ययन के इस क्षेत्र में सामाजिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हर संकायों को लाया गया है। मानव पर्यावरण की गुणवत्ता पर और योजना और नीति निर्माण पर इन सभी शोधों का समग्र प्रभाव अधिक से अधिक मामूली रहा है। शहरी मामलों के प्रबंधन के प्रभारी नीति निर्माता और कार्यकारी अंग व्यावहारिक मुद्दों और क्षेत्र की समस्याओं से निपटने के लिए सूचित निर्णय निर्माण के लिए कम मार्गदर्शन प्रदान करते हुए मोटे तौर पर शैक्षणिक रूप में अनुसंधान के उपलब्ध परिणामों पर ध्यान देते है। अन्य बातों के साथ-साथ इसके लिए निम्न कारकों को उत्तरदायी माना जा सकता हैः-

(क) शहरी अध्ययन स्पष्ट रूप से बहु-विषयक हैं। किसी परिणाम के रूप में उन्हें एक अंतर-संकायी दृष्टिकोण-अलग-अलग विशेषज्ञता के संलयन के लिए बैठक स्थल की आवश्यकता होती है, जो शायद ही हो पाती है। अत्यधिक अंतर-संबंध के बिना तदर्थ तरीके से अध्ययन कराए जाते है। शहरी अनुसंधान में व्यावहारिक प्रयोग हेतु निरंतरता और एकीकरण की आवश्यकता है।

(ख) हालांकि अलग-अलग शोध निष्कर्ष उपयोगी, उचित और शैक्षणिक तथा तकनीकी दृष्टिकोण से उच्च गुणवत्ता के हैं, फिर भी अनुसंधान के उपयोग और सार्थक कार्रवाई कार्यक्रमों का समन्वय करने के लिए परिणामों में बदलने के लिए शायद ही कोई किया गया है।

(ग) सरकार और स्थानीय विकास प्राधिकरणों द्वारा निर्णय लेने के लिए एक सहायता के रूप में नीति और समस्या उन्मुख अनुसंधान सुनिश्चित करने के लिए शोधकर्ताओं और तकनीकी विशेषज्ञों तथा योजना और विकास प्राधिकरणों के प्रबंधकों के बीच शायद ही कोई बातचीत और संवाद हुआ है।

(घ) अक्सर अनुसंधान पैटर्न और अध्ययन डिजाइन पश्चिमी औद्योगीकृत सोसायटियों के अनुभवों, प्रक्रियाओं और दृष्टिकोण पर आधारित होते हैं। उनमें प्रतिपादित सिद्धांत होते हैं तथा उनके द्वारा अपनाई गई वे नीतियां और कार्यक्रम होते हैं जो या तो अप्रचलित हो गए हैं या हमारी शर्तों को लागू नहीं होती है। कुछ दृष्टिकोण, मानदंड और मानक आदर्श प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन अपेक्षित पर्यावरण में तत्काल एकीकरण के लिए अनुपयुक्त हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अक्सर ग्रामीण संदर्भ उपेक्षित रह सकते हैं। देश के निवासियों: उनकी जड़ों, इतिहास और संस्कृति, रहन सहन, रीति-रिवाज, अपने पूर्वजों से विरासत में प्राप्त अपनी सीमित साधनों और पता अनुभवों से अपनी समस्याओं को हल करने की क्षमता पर पर्याप्त विचार नहीं किया गया है।

भारत सरकार ने कुछ समय के लिए एक ऐसे संगठन को बढ़ावा देने के सवाल पर ध्यान दिया था जो शहरी और ग्रामीण एकीकृत योजना और विकास के क्षेत्र में शोधकर्ताओं और चिकित्सकों के बीच की खाई पाट सके। नवम्बर, 1975 में, कार्य और आवास मंत्रालय ने कुछ संगठनों के विभिन्न बैठकों के जानकार व्यक्तियों के विचारों को प्राप्त करने के बाद यह निर्णय लिया कि राज्य सरकारों, शहरी और क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों और शहरी मामलों में रुचि रखने वाले अन्य एजेंसियों की भागीदारी के साथ भारत सरकार के समर्थन और प्रतिबद्धता के साथ राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के नाम से एक स्वायत्त निकाय स्थापित किया जाए।

इस प्रकार, संस्थान को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा-XXI के अंतर्गत 12 जनवरी, 1976 को एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था।

उद्देश्य और कार्य

यह परिकल्पना की गई है कि प्रस्तावित संस्थान में शहरी और ग्रामीण परिवेश से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल किया जाएगा, नीति निर्माताओं द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के लिए उपयुक्त समाधान विकसित करने में उनकी सहायता की जाएगी और राष्ट्रीय और राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकरणों को उपलब्ध कराई जाएगी, क्षेत्रीय व्यवस्थाओं में शहरी और ग्रामीण की स्थिति का महत्वपूर्ण और उद्देश्यात्मक विश्लेषण किया जाएगा। महसूस किया गया है कि उद्देश्यात्मक रणनीति और कार्य योजना तैयार करने, विभिन्न मौजूदा संस्थानों में अध्ययन शामिल करने, इस तरह के अध्ययन और शोध के परिणामों का समन्वय करने और किए गए शोध का प्रयोग करने हेतु सरकार और सरकारी एजेंसियों को सलाह देने के लिए एक मशीनरी होनी चाहिए। इस प्रकार, राष्ट्रीय संस्थान एक उच्च स्तरीय निकाय होना चाहिए जिसमें

शिक्षाविदों के साथ ही नीति निर्माण और कार्यक्रम कार्यान्वयन के प्रभारी शामिल होने चाहिए ताकि अनुसंधानों के परिणामों को व्यावहारिक रूप दिया जा सके। संस्थान राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में शहरी-ग्रामीण विकास के विभिन्न पहलुओं पर जारी अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देंगे।

संस्थान के कार्य प्रणाली में मानवीय पहलू - लोगों, समुदायों और उनके आवास पर ध्यान दिया जाएगा। प्रौद्योगिकी का प्रभाव और आजीविका की अनिवार्यता जो ग्रामीण लोगों उनकी संस्कृति, आदतों, मूल्यों और व्यवहार के मुताबिक परिवेश में ढ़ालती है, उसके लिए शहरी परिवेश के साथ टकराव के बजाय सुचारु और समायोजन सुरक्षित करने के लिए सावधानीपूर्वक अध्ययन और विश्लेषण की आवश्यकता है। स्वस्थ वातावरण और बेहतर आजीविका को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी इस्तेमाल किया जाना है। प्रौद्योगिकी से प्रदूषण नहीं फैलता बल्कि जिस तरीके से इसका इस्तेमाल और परिणाम होता है, उससे यह देखना होगा कि शहरी परिवेश को लोगों की जरूरतों के हिसाब से होना चाहिए ताकि मानव व्यक्तित्व विशेष रूप से ग्रामीण और शहरी गरीबों के विकास और उन्नति के लिए अनिवार्य अवसर प्रदान कर न्यायसंगत बनाया जा सके– जैसाकि प्रधानमंत्री के 20-सूत्री कार्यक्रम के रूप में परिलक्षित किया गया है।

संस्थान के तत्काल कार्यों को मोटे तौर पर निम्नानुसार रेखांकित किया जा सकता हैः

(1) भारत में नीति और कार्यक्रम उन्मुख शहरी अनुसंधान के लिए संदर्भ के व्यापक रूपरेखा की तैयारी। इसका तात्पर्य संबद्ध अंतरालों को भरने तथा किए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए प्राथमिकता देने की दृष्टि से अभी तक मौजूदा एजेंसियों द्वारा आयोजित अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विभिन्न क्षेत्रों की पहचान करना है;

(2) अनुसंधान का समन्वय करना और अध्ययनों के परिणामों के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देना क्षेत्र की समस्याओं में उनके प्रयोग में अनुसंधान, शहरी क्षेत्रों के व्यावहारिक समस्याओं से संबंधित अनुसंधान; और कार्यक्रम तैयार करने और लागू करने के लिए कार्रवाई संबंधी अनुसंधान;

(3) नई चुनौतियों का सामना करने के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को विकसित करने हेतु उद्देश्यात्मक विचार-विमर्श के लिए सेमिनारों, कार्यशालाओं और अन्य साधनों की व्यवस्था कर आवश्यक मंच प्रदान करते हुए प्रशासनिक और विधायी दोनों निर्णयकर्ताओं को आम जनता के लिए एकीकृत ग्रामीण-शहरी योजना और विकास की संभावनाओं को दर्शाना;

(4) किसी पत्रिका के प्रकाशन सहित विभिन्न संचार माध्यमों के जरिए ग्रामीण शहरी प्रक्रियाओं के बारे में सूचना और ज्ञान का संग्रह, विश्लेषण और प्रसार; और प्रलेखन केन्द्र का क्रमिक विकास।

आज शहरी अध्ययन का कुल मानव पर्यावरण के साथ संबंद्ध विभिन्न विषयों के व्यापक क्षेत्रव्यापी विस्तार है। शहरी मामलों के विभिन्न विशिष्ट क्षेत्रों में प्रशिक्षित और अनुभवी अनुसंधान कर्मियों की कमी है। किसी भी संगठन में इतनी बड़ी और विविध संकाय की उम्मीद नहीं की जा सकती जो मानव आवास के सभी पहलुओं को संभाल सके। इस प्रकार, संस्थान का गठन एकीकृत ग्रामीण-शहरी योजना और विकास की समस्याओं से निपटने के लिए नए विचारों का सृजन और अभिनव सोच को बढ़ावा देने के लिए बुद्धिजीवियों और पेशेवरों- शैक्षणिक संस्थानों और क्षेत्र एजेंसियों को एक साथ लाने पर जोर देते हुए साधारण कोर अनुसंधान स्टाफ के साथ परंपरागत तर्ज पर किया जाएगा।

संस्थान देश में मौजूदा सक्रिय संस्थाओं और विशेष एजेंसियों के साथ ही व्यक्तिगत विशेषज्ञों के सहयोग लेते हुए 'विशेषज्ञता की पूलिंग' पर लक्ष्य बनाएगा। अपेक्षित विचार-विमर्श के बाद उच्च स्तरीय जांच और सलाह के लिए संस्थान द्वारा अभिज्ञात किए गए शोध अध्ययनों का कार्य उच्च रैंकिंग वाले विशेषज्ञों और अंतर-संकायी विशेषज्ञों की टीमों को सौंपा जाएगा। संस्थान के कामकाज की विशेषता न केवल सहयोग होगा बल्कि सरकार और निम्नलिखित में विशेषज्ञ शहरी प्राधिकरणों के वरिष्ठ प्रशासनिक और तकनीकी अधिकारियों का सहयोग और भागीदारी भी होगाः

(क) अध्ययन के लिए कार्यों और क्षेत्रों की पहचान;

(ख) समस्या उन्मुख अनुसंधान का संचालन; और

(ग) व्यावहारिक कार्यक्रमों और परियोजनाओं का विकास।

अध्ययन पैनलों और कार्य समूहों से शिक्षाविदों, पेशेवरों और अनुभवी अधिकारियों के बीच बातचीत सुनिश्चित होगा; इस प्रकार संस्थान के कार्य प्रणाली में यथार्थवाद और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी।

संक्षेप में, संस्थान से उन कारकों का अध्ययन करने की उम्मीद है जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सौहार्दपूर्ण माहौल में लोगों का जीवन खुशहाल होगा। संस्थान का यह प्रयास होगा कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जानकार और समर्पित व्यक्तियों को शामिल किया जाए और इस अद्भूत कार्य में सहायता करने के लिए अपने व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट सदस्यों को आगे लाया जाए।

संस्थान के सहयोग ज्ञापन में निर्धारित कार्य निम्नानुसार हैं:

(क) भारत में मानव बस्तियों और शहरी तथा क्षेत्रीय विकास से संबंधित शहरीकरण, ग्रामीण-शहरी संबंध, प्रशासन, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अध्ययन करने, बढ़ावा देने और समन्वय करने के लिए एक स्वायत्त वैज्ञानिक और अनुसंधान संगठन के रूप में कार्य करना;

(ख) शहरी समस्याओं के उन्नत अध्ययन के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करना और आवश्यक प्रशिक्षण और अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करना तथा इसको बढ़ावा देना;

(ग) केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के साथ-साथ निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा शहरी विकास और संबद्ध क्षेत्रों की समस्याओं से संबंधित उचित नीतियां और कार्यक्रमों बनाने की पहल करना और इसमें सहायता करना;

(घ) विभिन्न क्षेत्रों में शहरी विकास की तुलना में नीतियों के लिए विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के सामाजिक, प्रशासनिक, वित्तीय और अन्य पहलुओं का अध्ययन करना;

(ङ) सरकार और जनता, स्थानीय अधिकारियों, विधायिका और शैक्षणिक, औद्योगिक और व्यापारिक समुदायों के सदस्यों के बीच शहरी मामलों पर बातचीत को मजबूत बनाने के लिए एक एजेंसी के रूप में कार्य करना;

(च) शहरी मामलों के क्षेत्र में उपलब्ध विशेषज्ञता जुटाना और आवश्यक पारिश्रमिक के भुगतान के साथ अथवा इसके बिना तकनीकी और परामर्श सेवाओं का प्रस्ताव तथा समन्वय करना;

(छ) पुस्तकालयों की स्थापना और अनुरक्षण करना तथा जानकारी के एक क्लीयरिंग हाउस के रूप में कार्य करना, प्रलेखन केन्द्र का संचालन करना और शहरी मामलों के बारे में जानकारी का प्रसार करना;

(ज) शोध पत्र, पुस्तकों, पत्रिकाओं, जर्नल, बुलेटिनों, पर्चे, मोनोग्राफ, पोस्टर और शहरी मामलों से संबंधित अन्य साहित्य का प्रकाशन और वितरण को सुविधाजनक बनाना;

(झ) शहरीकरण, शहरी पर्यावरण और शहरी विकास और प्रशासन से संबंधित मामलों में अध्ययन पाठ्यक्रम, सम्मेलनों, सेमिनारों, व्याख्यान, अनुसंधान और जांच का आयोजन करना और इसे सुविधाजनक बनाना;

(ट) संस्थान के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय, राज्य या स्थानीय केन्द्रों का गठन करना अथवा गठन करवाना अथवा मान्यता देना;

(ठ) सम्मेलनों में संस्थान का प्रतिनिधित्व करने के लिए उचित समझे जाने पर प्रतिनिधियों को नियुक्त करना जिसमें संस्थान भारत और विदेशों में रुचि रखता हो;

(ड) नकद या प्रतिभूतियों में और किसी भी चल या अचल संपत्ति के लिए कोई अनुदान, उपहार, दान और अंशदान स्वीकार करना;

(ण) संस्थान की सामग्रियों के समान, अनुरूप या तुलनीय सामग्रियों के साथ किसी ट्रस्ट निधि अथवा बंदोबस्ती के प्रबंधन को स्वीकार करना;

(त) संस्थान के प्रतिभूतियों, बांड, डिबेंचर, वचन पत्र या अन्य दायित्वों के उद्देश्यों के लिए संस्थान की प्रतिभूतियों या संस्थान की संपत्ति पर बंधक या प्रभार द्वारा यथा अपेक्षित धनराशि उधार लेना अथवा जुटाना;

(थ) संस्थान के उद्देश्य के लिए उससे संबंधित सभी अधिकारों के साथ उपहार, खरीद, आदान-प्रदान, पट्टा द्वारा अथवा अन्यथा, किसी भी भूमि, भवन, अथवा अन्य अचल संपत्ति के माध्यम से प्राप्त करना;

(द) संस्थान की वस्तुओं को आगे बढ़ाने के लिए इसमें परिवर्तन, साज-सज्जा और सुधार के अधिकार सहित भवनों का निर्माण और रखरखाव करना;

(ध) संस्थान के किसी अथवा सभी चल और अचल सम्पत्तियों का प्रबंधन, बिक्री, हस्तांतरण, बंधक, पट्टे पर देना, आदान-प्रदान करना अथवा निपटान करना;

(न) संस्थान के कार्य को पूरा करने के लिए पूर्णकालिक या अंशकालिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा इस संबंध में निर्मित नियमों में यथानिर्धारित परिलब्धियां, भत्ते और सेवा लाभ प्रदान करना;

(प) संस्थान के उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामग्रियों उपलब्ध कराने के लिए इस तरह के सभी कार्य करना जो अनुकूल या आकस्मिक हो।